Australian Government
Medicare Australia

Australian organ donor register

# ऑस्ट्रेलियन ऑर्गन डोनर रजिस्टर

## ऑस्ट्रेलियन ऑर्गन डोनर रजिस्टर क्या है?

ऑस्ट्रेलियन ऑर्गन डोनर रजिस्टर (दि डोनर रजिस्टर) में मृत्यु के बाद प्रतिरोपण के लिए अंग तथा ऊतक दान देने के बारे में लोगों के निर्णय दर्ज किए जाते हैं।

इस ऑर्गन डोनर रजिस्टर को अधिकृत चिकित्साकर्मियों द्वारा कभी भी देखा जा सकता है।

इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि मृत्यु की दशा में किसी व्यक्ति द्वारा दान करने से संबंधित निर्णय दर्ज किया गया है तथा वह प्राप्य है।

डोनर रजिस्टर में अपना निर्णय दर्ज करवाना स्वैच्छिक है तथा आप कौन सा अंग अथवा ऊतक दान करने के लिए तैयार हैं, इस निर्णय के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। दान में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- अंग - जिसमें गुर्दे, हृदय, फेफड़े, यकृत, तथा अग्न्याशय शामिल हैं
- ऊतक - जिनमें हृदय के वाल्व, हड्डी ऊतक, त्वचा तथा आंख के ऊतक शामिल हैं।

यदि आप अंग अथवा ऊतक दान न करना चाहते/चाहती हों, तो आप अपना यह निर्णय भी डोनर रजिस्टर में दर्ज करवा सकते/सकती हैं।

## मैं अपने अंग तथा ऊतक दान देने पर क्यों विचार करूं?

गम्भीर और जानलेवा बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अंग अथवा ऊतक प्रतिरोपण का अर्थ उनके लिए एक नया जीवन होता है। पिछले 60 वर्षों में 30,000 से अधिक ऑस्ट्रेलियावासी प्रतिरोपण प्राप्त कर चुके हैं। उन्नत उत्तरजीविता दर के कारण अधिकांश अंग तथा ऊतक प्राप्तकर्ता अब जीवन की बेहतर गुणवत्ता की आशा कर सकते हैं। डोनर रजिस्टर में अपनी सहमति दर्ज करवा कर आप अधिकतम 10 व्यक्तियों का जीवन बचा सकते/सकती हैं।

## क्या मैं अपना पँजीकरण करवाने के लिए योग्य हूँ?

16 वर्ष से अधिक आयु के तथा ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला कोई भी व्यक्ति डोनर रजिस्टर में अंग दान की सहमति दर्ज करवा सकता है।

कोई भी अंग तथा ऊतक दान कर सकता है - कुछ अंगों और ऊतकों के दान करने के लिए आयु की कोई सीमा नहीं होती है। हालांकि अंगदान के समय आपकी आयु और चिकित्सीय इतिहास पर विचार किया जाएगा, लेकिन आपको यह नहीं मान लेना चाहिए की आप बहुत कम उम्र के/की हैं, या आपकी उम्र बहुत अधिक हो गई है या फिर आप पर्याप्त रुप से स्वस्थ नहीं हैं।

## मैं अंगदान के लिए अपनी सहमति कैसे दर्ज करवा सकता/सकती हूँ?

आप अपनी सहमति निम्नलिखित रुप से दर्ज करवा सकते/सकती हैं:

- व्यक्तिगत रुप से - मेडिकेयर कार्यालय में
- टेलीफोन पर - 1800 777 203** पर कॉल करें
- ऑनलाइन - **www.medicareaustralia.gov.au**

यदि आप अंग अथवा ऊतक दान न करना चाहें, तो आप अपने इस निर्णय को भी डोनर रजिस्टर में उपरोक्त विधि से दर्ज करवा सकते/सकती हैं।

## डोनर रजिस्टर में दर्ज अपनी जानकारी को मैं कैसे बदल सकता/सकती हूँ?

आप किसी भी मेडिकेयर कार्यालय अथवा **www.medicareaustralia.gov.au** पर ऑनलाइन आप परिवर्तन का ब्यौरा भर कर अपने दान करने के निर्णय सहित डोनर रजिस्टर में दर्ज किसी भी जानकारी को बदल सकते/सकती हैं।

## मुझे रजिस्टर में अपनी मेडिकेयर कार्ड संख्या देने की क्यों आवश्यकता है?

हालांकि यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन मेडिकेयर संख्या प्रदान करने से हमें आपके पते की जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। वर्तमान पते संबंधी ब्यौरे के बिना जीवन रक्षा का एक अवसर गंवाया जा सकता है।

## क्या मुझे दान करने संबंधी अपने निर्णय पर अपने परिवार, सहजीवी अथवा नजदीकी मित्रों आदि के साथ विचार करना चाहिए?

यह महत्वपूर्ण है कि आप अंगदान करने के निर्णय पर अपने परिवार, सहजीवी अथवा नजदीकी मित्रों के साथ चर्चा करें। वह दान करने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण हिस्सा होंगें, इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें आपके इस निर्णय की जानकारी हो।

उन्हें इस बात की पुष्टि करने के लिए पूछा जा सकता है कि आपके द्वारा सहमति दर्ज करवाए जाने के बाद इस निर्णय को बदला तो नहीं गया है। एक ओर जहां आपने अंगों और/या ऊतकों को दान करने के लिए अपनी सहमति दर्ज की है, आपके परिवार, सहजीवी अथवा मित्रों से आपके चिकित्सीय इतिहास के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगें ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि कौन से अंग और/या ऊतक प्रतिरोपण के लिए उचित होंगे।

आपके परिवार के जितने अधिक सदस्यों को आपके अंग तथा ऊतक दान करने संबंधी निर्णय के बारे में जानकारी होगी, उनके लिए आपके निर्णय का सम्मान करना तथा उसे पूरा करना उतना ही सरल होगा।

## अंग तथा ऊतक दान कब किया जा सकता है?

अधिकांश मामलों में अस्पताल में इंटेन्सिव केयर यूनिट में जब किसी व्यक्ति को मस्तिष्क निष्क्रिय (ब्रेन डेड) मृत घोषित किया जाता है, तभी उस व्यक्ति के अंग आदि प्रतिरोपण के लिए निकाले जाते हैं। मस्तिष्क निष्क्रिय मृत उस समय की स्थिति को कहा जाता है जब मस्तिष्क में रक्त संचरण रुक जाता है तथा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने की कोई संभावना के बिना मस्तिष्क कार्य करना बन्द कर देता है और मृत अवस्था में पहुंच जाता है। स्वतंत्र तथा उचित रुप से योग्यता-प्राप्त दो वरिष्ठ डाक्टरों द्वारा अनेक परीक्षण किए जाते हैं ताकि इस निर्णय पर पहुंचा जा सके कि मस्तिष्क निष्क्रियता मृत्यु हो चुकी है।

अस्पताल में मरने वाले कुल व्यक्तियों में से एक प्रतिशत से कम व्यक्तियों की मृत्यु इस प्रकार से होती है और इसलिए वे अंगदान कर सकते हैं।

लोग कभी-कभी मस्तिष्क की निष्क्रियता तथा मस्तिष्क की निश्चेतना (कोमा) के बारे में चिंतित रहते हैं अथवा संशय में पड़ जाते हैं। मस्तिष्क निष्क्रिय मृत्यु पूरी तरह से मस्तिष्क की निश्चेतना (कोमा) से भिन्न होती है। निश्चेतनता में रोगी बेहोश होता है क्योंकि उसके मस्तिष्क पर किसी तरह की कोई चोट लगी होती है, लेकिन उसका मस्तिष्क काम करता रहता है तथा वह ठीक हो सकता है। रोगी पर किए गए चिकित्सा परीक्षणों से स्पष्ट रुप से मस्तिष्क की निष्क्रियता तथा निश्चेतना का पता चल जाता है।

प्रतिरोपण के लिए ऊतक दान करने का अवसर अनेक लोगों के पास होता है, जिसमें आंखों के ऊतक, हृदय वाल्प, हड्डी के ऊतक तथा त्वचा के ऊतक शामिल हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंग प्रतिरोपण की सफलता के लिए जो परिस्थितियां आवश्यक होती हैं, वैसी परिस्थितियां ऊतक प्रतिरोपण के लिए आवश्यक नहीं होती हैं।

## अंग और ऊतक कैसे निकाले जाते हैं?

अंगों और ऊतकों को निकालने के लिए शल्य चिकित्सा जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा यह बहुत ही निपुण शल्य चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। दानकर्ता के शरीर को पूरे समय बहुत ही अधिक सम्मान तथा आदर दिया जाता है। अंग अथवा ऊतक दान दिए जाने से शरीर के आकार अथवा रुप-रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा अंत्येष्टि व्यवस्थाओं पर इसका कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है।

## सारांश जांचसूची

- अपने अंग और/या ऊतक दान करने के निर्णय को रजिस्टर में दर्ज करें।
- अपने परिवार से बात करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह आपकी इच्छाओं से अवगत हों।

## डोनर रजिस्टर के बारे में अधिक जानकारी के लिए

| | |
|---|---|
| ऑनलाइन | **www.medicareaustralia.gov.au** |
| ईमेल | **aodr@medicareaustralia.gov.au** |
| कॉल | 1800 777 203** |
| टी टी वाई | 1800 552 152** (सुनने अथवा बोलने में अशक्त व्यक्ति) |
| टी आई एस | 131 450* (अनुवाद तथा दुभाषिया सेवा) |

*कॉल प्रभार लागू होते हैं।

**कॉल प्रभार केवल मोबाइल तथा पे फोनों पर ही लागू होते हैं।

## अंग और/या ऊतक दान करने के संबंध में अधिक जानकारी के लिए

**New South Wales**

Level 6, 4 Belgrave Street

Kogarah NSW 2217

कॉल 02 8566 1700

**Australian Capital Territory**

Canberra Hospital

Yamba Drive, Garran ACT 2605

कॉल 02 6244 3071

**South Australia**

Level 6, 45 Grenfell Street

Adelaide SA 5000

कॉल 08 8207 7117

**Northern Territory**

1st floor, Royal Darwin Hospital

Rocklands Drive, Tiwi NT 0810

कॉल 08 8922 8786

**Victoria**

538 Swanson Street

Carlton VIC 3053

कॉल 03 9349 4762

**Queensland**

Level 4, Building 1

Princess Alexandra Hospital

Ipswich Road, Woolloongabba QLD 4102

कॉल 07 3240 2350

**Western Australia**

6th floor, Albert Facey House

469 Wellington Street, Perth WA 6000

कॉल 08 9222 0222

**Tasmania**

Level 3, Hobart Corporate Centre

85 Macquarie Street, Hobart TAS 7000

कॉल 03 6270 2209

**Australian Organ and Tissue Authority**

Level 5, 51 Allara Street

Canberra City ACT 2600

कॉल 02 6198 9800

1577_09d.04.11.09